न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : दिवांशु शर्मा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 419/2018 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. देवकरण पिता अमरा गुजर नि0 रूपपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. प्रेमी पिता अमरा गुजर नि0 रूपपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. राजी बेवा अमरा गुजर नि0 रूपपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

————————प्रार्थी गण

बनाम

1. रामू पुत्री पेमा गुजर पत्नि राजू गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा हाल मुकाम बैरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. गोटी पुत्री पेमा गुजर पत्नि श्रवण गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा हाल मुकाम भैरूखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. केली पत्नि पेमा गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. भैरू पिता देबीलाल गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. गोपाल पिता देबीलाल गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. मेमा पुत्री देबीलाल गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. काली पुत्री देबीलाल गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. सीता पुत्री देबीलाल गुजर पत्नि रोशन गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा हाल मुकाम नानकपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. कंकू पत्नि देबीलाल गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. नारायण पिता नन्दा गुजर नि0 रूपपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. जगदीश पिता भंवरिया गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. मुकेश पिता बद्री गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. ठमू पत्नि बद्री गुजर नि0 गुसाईखेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

————————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

1. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार विपक्षी संख्या 14

निर्णय

दिनांक 29—10—20

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251—(ए) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 17.05.2018 को प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा रूपपुरा पटवार मण्डल लाम्बियाखुर्द तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 180 209 में प्रार्थी के पक्ष 1/2 हक हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है एंव विपक्षी संख्या 10 लगायत 13 का 1/2 हिस्सा है एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षिगणो की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगणो द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो संख्या 01 से 09 की आराजी सं0 174 के मेर के सहारे–सहारे 12 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2020 को मामले में तहसीलदार बनेडा को पत्र लिखा जाकर निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावे।

विपक्षी गण को पूर्व मे एक तरफा कार्यवाही आदेश पारित किये गये है । एंव मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बनेडा से यह सपष्ट है कि अप्रार्थी की आराजी न0 174 रकबा 1.15 बीघा मे से 0–05–10 बीघा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी को निम्न रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है जो निम्न है –

1. प्रार्थी गण की आराजी नं0 174 मे से नया रास्ता देने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो वर्तमान मे रामू , गोरी , पुत्रिया पेमा , केली पत्नि पेमा , , भैरू गोपाल पिता देबीलाल , मेमा , काली , सीता पुत्रिया देबीलाल , कंकू पत्नि देबीलाल गुजर निवासी रूपपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है ।
2. प्रार्थी वर्तमान में ग्राम रूपपुरा की आराजी नं0 174 मे से होकर अपने खेत पर पहुचंते है जिसकी लम्बाई 55 गटठे है जो रामू , गोरी , पुत्रिया पेमा , केली पत्नि पेमा , , भैरू गोपाल पिता देबीलाल , मेमा , काली , सीता पुत्रिया देबीलाल , कंकू पत्नि देबीलाल गुजर निवासी रूपपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है । इसके अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नही है ।
3. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रूपपुरा की आराजी नं0 174 मे से प्रस्तावित किया है जिसमे 0–05–10 बीघा भूमि रास्ते हेतू उपयोग मे आयेगी । यह रास्ता लघुत्तम होकर उपयुक्त है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है ।
4. प्रकरण मे प्रस्तावित भूमि की प्रचलित डीएलसी दर 40862/– प्रति बीघा से 0–05–10 बीघा भूमि की मालियत 11237/– रूपये बनती है ।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 12 फिट का रास्ता चाहा गया था। परन्तु अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु हल्का पटवारी द्वारा मौजा बालेसरिया के आराजी न0 174 रकबा 1.15 बीघा मे से 0–05–10 बीघा भूमि रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है । एंव मौजा रूपपुरा के आराजी न0 174 रकबा 1.15 बीघा मे से 0–05–10 बीघा भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाने योग्य है । मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित उक्त आराजी न0 174 रकबा 1.15 बीघा मे से 0–05–10 बीघा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है। उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवाई जाने योग्य है । मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम रूपपुरा पटवार मण्डल लाम्बियाखुर्द तहसील बनेडा स्थित आराजी नम्बर 180 , 209 मे पहुंचने हेतू ग्राम रूपपुरा के आराजी न0 174 रकबा 1.15 बीघा मे से 0–05–10 बीघा मुताबिक रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दरों की दुगुनी राशि (0–05–10 बीघा की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा